समर्थन मूल्यों में वृद्धि

583. डा० अबरार अहमद खान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, किन-किन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है तथा किन-किन उत्पादों के मूल्यों में निकट भविष्य में वृद्धि किए जाने की सम्भावना है;

(ख) खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि किए जाने का बढ़ते हुए मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को क्या सहायता दे रही है; क्या कृषि के विकास और खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राजस्थान को भी कुछ सहायता प्रदान की गई है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा): (क) सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के लिए खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और सार्वजनिक एवं सहकारी एजेंसियों के जरिए मूल्य समर्थन कार्यों की भी व्यवस्था करती है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य मिल सकें।

तिलहनों के संबंध में सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य बैंड के अंतर्गत मूंगफली तथा सरसों के तेल के थोक मूल्यों को बनाए रखने के लिए मंडी 'हस्तक्षेप' की नीति का भी अनुसरण किया जाता है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ तिलहन उत्पादकों को प्रोत्साहन मूल्य मिल सकें।

1989-90 की रबी फसलों, अर्थात् गेहूं, जौ, चना, तोरिया/सरसों तथा कुसुम के लिए सरकार ने फसलों के उत्पादन की लागत की पद्धति की समीक्षा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को सिफारिशों तथा स्थायी सलाहकार समिति द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करने के बाद पहले घोषित किए गए खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में संशोधन किया है, ताकि वे अधिक लाभकारी बन सके।

सरकार ने 1990 के मौसम के लिए कोपरा के लिए और 1990-91 के मौसमों के लिए पटसन तथा गन्ना के लिए पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी है। वर्ष 1990-91 की खरीफ फसलों, अर्थात् धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तुर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन कपास तथा तम्बाकू के लिए खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद निर्धारित किए जायेंगे।

(ख) खाद्यान्नों के खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि होने से बाजार के मूल्य अधिक हो जायेंगे। चूंकि बाजार के मूल्य खरीद/न्यूनतम समर्थन स्तरों से अधिक हैं, अतः यह जरूरी नहीं है कि खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने से बाजार के मूल्यों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लिए जाने वाले मूल्य बाजार के मूल्यों से कम है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की युक्तिसंगत ढंग से निर्मुक्ति करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि बाजार के मूल्य उचित स्तरों पर बने रहें।

(ग) आधार भूत ढांचे को सुधारकर, विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी पैकेज उपलब्ध कराकर, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम, वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास, छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता देकर, सघन कपास विकास कार्यक्रम आदि जैसे थ्रस्ट कार्यक्रमों के माध्यम से, आदानों को जिसमें बीजों के संकर जाति की किस्में, उर्वरक कीट-नाशक आदि शामिल है, इमदादशुदा सप्लाई करके तथा कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके कृषि उत्पादन को सुधारने में किसानों की सहायता की जाती है।

राजस्थान की उपर उल्लिखित योजनाओं तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा रेगिस्तान विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी सहायता उपलब्ध है।

गेहूं, चना तथा मक्का के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को प्रमाणित बीजों तथा कीटनाशक दवाइयों के इमदादशुदा वितरण के लिए 1988–89 में 342.55 लाख रुपये तथा 1989–90 में 199.85 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। खरपतवार नियंत्रण तथा बीज वितरण के लिए राजस्थान की वर्ष 1990–91 के लिए 80 लाख रुपये की रकम आवंटित की गई है।

Setting up of Central Industrial Tribunals

584. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether any proposal is under Government's consideration to set up Central Industrial Tribunals in the country during the next few years;

(b) if so, the locations thereof; and

(c) to what extent the industrial relation situation would improve due to setting up of these tribunals in the country?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) Yes, Sir.

(b) In the current financial year, it is proposed to set up three more Central Industrial Tribunals-cum-Labour Courts, at the following places:

1. Noida
2. Ranchi
3. Bhopal

(c) Setting up of additional Industrial Tribunals-cum-Labour Courts would bring down the pendency of cases in the Industrial Tribunal-cum-Labour Courts. Also, it would be easier for the workers to approach them. Industrial relations situation would improve to this extent.

Setting up of human settlement management Institute

585. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Housing and Urban Development Corporation has set up a human settlement management institute in collaboration with the Institute of Housing Studies, New Delhi recently;

(b) if so, the purpose of setting up of uch an institute; and

(c) to what extent the institute would provide or guide for best possible housing facilities etc.?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN) (a) and (b) The Human Settlement Management Institute (HSMI) was set up by HUDCO in 1985, in order to provide training and research support for professionals working in the borrowing organisations and to establish a forum of interaction for administrators, professionals, researchers and others engaged with the issues and day to day practice of human settlement development.

(c) The Human Settlement Management Institute (HSMI) function as a national level Research and Training Institution in the field of housing and human settlements, collaborate under different programmes, with various specialised national institutions, as well as conducts regular training courses for the upgradation of technical and managerial skills of professionals engaged in the field of housing and human settlements.

Hostels for Scheduled Tribes

586. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hostels have been opened for scheduled tribes students by the States and voluntary organisations;

(b) if so, what are the details thereof Statewise; and